सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1932 शकाब्द

संख्या 425

राँची, मंगलवार 3 अगस्त, 2010

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 अगस्त, 2010

संख्या -- 3/नीति--701/2008 (खण्ड-1) का० 4619---भारत--संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के गठन, नियुक्ति एवं सेवा--शर्तो इत्यादि तथा तत्सम्बन्धी मामलो के लिये संलग्न नियमावली गठित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आदित्य स्वरुप,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010

भारत--संविधान के अनुच्छेद -- 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा के गठन, नियुक्ति एवं सेवा शर्तो इत्यादि तथा तत्संबंधी मामलों के लिए निम्नलिखित नियमवाली बनाते हैं :--

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 कहलाएगी ।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ :

इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ से अन्यथा न हो,

(क) *"नियुक्ति प्राधिकार"* से अभिप्रेत है सहायक श्रेणी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं नियम-3 में उल्लिखित अन्य पदों के संदर्भ में राज्य सरकार;

(ख) ***"नियत दिन"*** से अभिप्रेत है वह तारीख जब से यह नियमावली प्रवृत्त होगी,

(ग) ***"प्राधिकृत संवर्गीय कार्यबल"*** सेवा के संदर्भ में नियमावली के द्वितीय अनुसूची के अनुसार होगा, किंतु आवश्यकतानुसार समय–समय पर पदों के सृजन एवं पद समाप्ति के अनुसार सेवा के कार्यबल में संशोधन किया जा सकेगा ।

(घ) ***"संवर्ग"*** से अभिप्रेत है पहली अनुसूची के स्तंभ (2) एवं (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी विभाग अथवा कार्यालय में नियम–3 में उल्लेखित पद–समूह ।

(ङ) ***"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"*** किसी भी श्रेणी के संदर्भ में नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

नोट : अनुशासनिक मामलों (केवल लघु दंड के लिए) के प्रयोजनार्थ संवर्ग के संदर्भ में "अनुशासनिक प्राधिकार" स्तंभ–2 में उल्लिखित विभाग के सचिव अथवा स्तंभ–3 में उल्लिखित कार्यालय प्रधान होंगे जहाँ पदाधिकारी पदस्थापित हों ।

(च) ***"आयोग"*** से अभिप्रेत है सहायकों की नियुक्तियों के संदर्भ में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य मामलों के संदर्भ में झारखंड लोक सेवा आयोग ।

(छ) ***"सामान्य वरीयता सूची"*** किसी भी श्रेणी में सामान्य वरीयता सूची से अभिप्रेत है उस श्रेणी के पदाधिकारियों की वरीयता सूची जो नियत तिथि को पहली अनुसूची में अंकित सभी विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत हो तथा जो समय–समय पर पुनरीक्षित किया गया हो,

(ज) ***"सीधी भर्ती"*** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किया गया हो न कि आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर;

(झ) ***"विभाग"*** से अभिप्रेत है झारखंड सरकार का विभाग और इसमें पहली अनुसूची के स्तंभ–3 में विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालय सम्मिलित हैं ।

(ञ) ***"श्रेणी"*** से अभिप्रेत है नियम–3 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से कोई एक,

(ट) सेवा के किसी कोटि के संदर्भ में **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा** से अभिप्रेत है आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग, जैसा हो, द्वारा सम्बन्धित निचली कोटि से कोटि के उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।

(ठ) ***"परीक्ष्यमान"*** से अभिप्रेत है नियमित रिक्ति के विरुद्ध परीक्ष्यमान श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति;

(ड) ***"वरीयता–क्षेत्र"*** किसी श्रेणी (grade) के संदर्भ में वरीयता क्षेत्र से अभिप्रेत है राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उस श्रेणी की यथास्थिति चयन सूची अथवा अस्थायी प्रोन्नति की सूची में जोड़ने के लिए सामान्य वरीयता सूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र

(ढ) ***"नियमित पदाधिकारी"*** किसी श्रेणी के संदर्भ में नियमित पदाधिकारी से अभिप्रेत है वह जिसकी नियुक्ति नियमित रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती अथवा चयन सूची से प्रोन्नति के माध्यम से हुई हो तथा जो नियम–8 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की राय में संतोषजनक ढंग से परीक्ष्यमान अवधि को पूर्ण कर चुका हो,

(ण) ***"नियमित रिक्ति"*** किसी श्रेणी के संदर्भ में अनिश्चित अवधि हेतु उपलब्ध रिक्तियाँ सम्मिलित हैं ।

(त) ***"अनुसूची"*** से अभिप्रेत है इस नियमावली की अनुसूचियाँ

(थ) ***"सेवा"*** से अभिप्रेत है झारखंड सचिवालय सेवा

(द) ***"अस्थायी पदाधिकारी"*** से अभिप्रेत है, किसी श्रेणी (grade) के संदर्भ में उस कोटि में किसी व्यक्ति द्वारा धारित अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति

(ध) ***"स्थायी पदाधिकारी"*** से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो प्रविष्टि कोटि में संपुष्ट हो गया हो,

3. सेवा की संरचना :

(1) इस सेवा में निम्न प्रकार से वर्गीकृत पाँच कोटियाँ होंगी

	ग्रेड/श्रेणी	***वर्गीकरण***
(i)	वरीय प्रवर कोटि (सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष)	राज्य असैनिक सेवा ग्रुप 'क' अनुसचिवीय
(ii)	प्रवर कोटि (सरकार के उप सचिव या समकक्ष)	
(iii)	ग्रेड–। (सरकार के अवर सचिव या समकक्ष)	
(iv)	प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड	राज्स सिविल सेवा ग्रुप 'ख' अनुसचिवीय
(v)	सहायक ग्रेड	

(2) वरीय प्रवर कोटि, प्रवर कोटि, ग्रेड–1 तथा प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के पद राजपत्रित होंगे तथा सहायक ग्रेड का पद अराजपत्रित होगा ।

4. पदाधिकारियों की संयुक्त पदक्रम सूची : वरीय प्रवर कोटि, प्रवर कोटि, ग्रेड–1 तथा प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में एकल संयुक्त पदक्रम सूची होगी तथा पहली अनुसूची के स्तंभ (2) एवं (3) में उल्लिखित सभी विभागों एवं कार्यालयों के लिए सहायक ग्रेड के पदाधिकारियों की एक अलग पदक्रम सूची होगी ।

5. सेवा की प्राधिकृत संवर्ग सदस्य संख्या

(1) विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत संवर्ग सदस्य संख्या द्वितीय अनुसूची के अनुसार होगी।

(2) प्राधिकृत कार्यबल आवश्यकतानुसार समय–समय पर पदों के सृजन अथवा समाप्ति के अनुसार पुनरीक्षित समझा जायगा ।

(3) यदि आवश्यक हो तो संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी समय–समय पर संवर्ग में अस्थायी वृद्धि कर सकता है ।

6. वरीय प्रवर कोटि एवं प्रवर कोटि की भर्ती :

(1) वरीय प्रवर कोटि की रिक्तियों को वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वरीय प्रवर कोटि की चयन सूची के पदाधिकारियों से भरा जायेगा।

(2) प्रवर कोटि की रिक्तियों को वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ग्रेड–1 के वैसे नियमित पदाधिकारियों से भरा जायगा जो उस ग्रेड में पाँच वर्षो से अन्यून अनुमोदित सेवा पूर्ण कर चुके हों और चयन सूची में शामिल हों ।

(3) उपनियम (i) एवं (ii) के प्रयोजनार्थ वरीय प्रवर कोटि एवं प्रवर कोटि के लिए चयन सूची समय–समय पर झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित रीति से तैयार की जायगी ।

7. ग्रेड–1, प्रशाखा पदाधिकारी तथा सहायक ग्रेड में भर्ती :

ग्रेड–1

(1) ग्रेड–1 की रिक्तियों को वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे प्रशाखा पदाधिकारियों से भरा जायगा, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्षों से अन्यून सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(2) *प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड*

प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों के 50 प्रतिशत वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन सहायकों से भरे जायेंगे जो सहायक ग्रेड में आठ वर्षों से अन्यून अनुमोदित सेवा पूर्ण कर चुके हों ।

शेष 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वैसे सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक ग्रेड में तीन वर्षों की अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली है तथा जो स्नातक योग्यता रखते हों।

परन्तु, स्नातक योग्यताधारी व संबंधित कोटि में कम–से–कम सात वर्षो की अनुमोदित सेवा पूरी करने वाले उच्च वर्गीय लिपिक को भी प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में एकल अवसर के रूप में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन यह छूट वर्त्तमान भर्त्ती नियमावली के प्रभावी होने के तत्काल बाद आयोजित होने वाले प्रथम सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ देने तक सीमित होगा। इसके उपरांत यह एकल विशेष प्रावधान स्थाई रूप से समाप्त समझा जायेगा।

(3) *सहायक ग्रेड*

सहायक गेड के नियमित पदों का 75 प्रतिशत पद समय–समय पर आयोग द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगे ।

सहायक ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी ।

15 प्रतिशत नियमित पदों को वैसे उच्चवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जायगा जिनके नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो ।

शेष 10 प्रतिशत नियमित पदों को झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक तथा आशुलिपिक (दोनो पॉच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकनेवाले स्नातक योग्यताधारी होगें) के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरा जायगा ।

(4) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमावली बनायेगा तथा इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों के लिए आवंटित करेगा ।

8. परीक्ष्यमान अवधि :–

(1) सीधी भर्ती से सहायक ग्रेड में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ में परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा, जिसकी अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की होगी ।

(2) सीधी भर्ती से अन्यथा इस ग्रेड में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि में रहेगा ।